न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी –श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

अपील संख्या 14 / 2021

1. अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जांगिड़ खाती निवासी जेरठी, सुभाष नगर तहसील धोद जिला सीकर
2. आकाश पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी जेरठी, सुभाष नगर तहसील धोद जिला सीकर
3. दीपक कुमार पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी जेरठी, सुभाष नगर तहसील धोद जिला सीकर
4. राजकुमार पुत्र सुमेर सिंह जाति जाट निवासी जेरठी, सुभाष नगर तहसील धोद जिला सीकर

–अपीलाण्टस–

बनाम

1. राजकुमार पुत्र रिछपाल सिंह जाति जाट निवासी कुदन तहसील धोद जिला सीकर
2. मदनलाल पुत्र रिछपाला सिंह जाति जाट निवासी कुदन तहसील धोद जिला सीकर
3. ग्राम पंचायत कोलिड़ा पंचायत समिति पिपराली, तहसील सीकर जरिये सरपंच

– रेस्पोडेण्टस –

<u>अपील विरूद्व नामा0 आदेश ग्राम पंचायत कोलिड़ा तहसील सीकर दिनांक 26.8.2021 बाबत नामा0 संख्या 315</u>

उपस्थित – वकील अपीलाण्टस– श्री भागीरथम जाखड़

वकील रेस्पोडेण्टस – श्री बजरंग सिंह राजपूत रेस्पो. संख्या 3, सुशिला रे0 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी सीकर

निर्णय

दिनांक : 25-7-23

वकील अपीलाण्टस ने एक अपील विरुद्ध नामा0 संख्या 315 दिनांक 26.8.2021 ग्राम पंचायत कोलिड़ा के पेश की । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2420/2230 रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसको अपीलाण्टस ने जरिये रजिर्स्टड विक्रय पत्र दिनांक 28.7.2021 को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 संख्या 315 अधिनस्थ ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया था जिस पर ग्राम पंचायत ने बिना किसी आधार के नामा0 अस्वीकार कर गलत निर्णय किया । उक्त आदेश खिलाफ कानून है क्योंकि ना तो ग्राम पंचायत ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्टस को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया । ग्राम पंचायत ने मनमाने तरीके से बिना किसी आधार पर नामा0 अस्वीकार कर दिया। जिसका की उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः अधिनस्थ ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 26.8.2021 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेण्टस को जरिये रजिर्स्टड नोटिस तलब किया गया । जिस पर रेस्पोडेण्टस जरिये वकील उपस्थित रहे। वकील रेस्पोडेण्टस ने अपीलाण्टस की अपील पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई जो मुताबिक अपील रही। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अपीलाण्टस ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 से जरिये रजिसर्ड विक्रय पत्र विवादित आराजियात क्रय की थी जिसके आधार पर नामा0 दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.8.2021 को प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा सर्वसम्मति से उक्त नामा0 संख्या 315 को खारिज कर दिया गया । उक्त प्रस्ताव संख्या 3 की प्रति अपीलाण्टस ने प्रस्तुत नहीं की। ग्राम पंचायत से रिकार्ड तलब किया गया परन्तु बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद उक्त प्रस्ताव के प्रति अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं भिजवाई गई। अधिनस्थ न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता ने भी इस बाबत कोई संतोषजन जवाब व कथन नहीं किया । इस कारण पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपनी भूमि खसरा नम्बर 2420/2230 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलाण्टस को विक्रय कर दिया था। अधिनस्थ

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय ने बिना किसी आधार के नामा0 अस्वीकार किया है जो कि विधिनुरूप नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टस प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 315 दिनांक 26.8.2021 ग्राम पंचायत कोलिडा को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर नामा0 के संबंध में पुनः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25-7-23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी, सीकर